झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
सप्तम् (शीतकालीन)सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 23.11.2016 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री आलमगीर आलम स0वि0स0	ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ग्रामीण पथों के निर्माण के लिए पथों की चौड़ाई 7.0 मीटर से 7.5 मीटर निर्धारित की गई है, जबकि अधिकतर ग्रामीण पथों की चौड़ाई 5.0 मीटर से 6.0 मीटर है। जिसके कारण अधिकांश ग्रामीण पथों के निर्माण के लिए विभागीय स्वीकृति नही दी जा रही है। ज्ञात हो कि पथों की स्थिति जर्जर रहने से ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई हो रही है। अतः जनहित में 5.0 मीटर से 6.0 मीटर चौड़ाई वाले महत्वपूर्ण ग्रामीण पथों के निर्माण के लिए विभागीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	ग्रामीण विकास
02-	श्री राज सिन्हा स0वि0स0	धनबाद जिला का कमिश्नरी मुख्यालय लगभग 150 किलोमीटर दूर हजारीबाग है। इसके कारण धनबाद जिला के लोगों को आवश्यक कार्य हेतु कमिश्नरी हजारीबाग जाना होता है। धनबाद कमिश्नरी बनने की पूर्ण आहर्त्ता रखता है। इसकी आबादी लगभग 30 लाख है, यहाँ नगर निगम है। यहाँ केन्द्र सरकार के कार्यालयों के कमिश्नर बैठते है। डी0भी0सी0 औरु बी0सी0सी0एल0 का हेडक्वार्टर है। डी0सी0, एस0एस0पी0, ग्रामीण एस0पी0 एवं	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
		सी0टी0 एस0पी0 का कार्यालय है। रेलवे एवं डिविजनल हेड क्वार्टर है। भारत सरकार के माइन सेफटी डायरेक्टर का कार्यालय है। धनबाद में आई0आई0टी0 हैं तथा बी0आई0टी0 सिंदरी शिक्षण संस्थान है। इन सभी महत्वपूर्ण कार्यालय और पदाधिकारियों के बावजूद धनबाद आज तक कमिश्नरी का दर्जा प्राप्त नहीं कर सका है। अतः मैं धनबाद को कमिश्नरी का दर्जा देने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
03-	श्री मनीष जायसवाल स0वि0स0	राज्य गठन के पश्चात् राज्य के झारखण्ड आन्दोलनकारियों को चिन्हित कर सरकार द्वारा एक सम्मानजनक राशि के रूप में पेंशन देने की योजना को स्वीकृत कर देने के बावजूद अबतक उक्त सभी आन्दोलनकारियों को उक्त योजना का लाभ नहीं दी जा रही हैं जिससे सभी आन्दोलनकारी काफी निराश हैं क्योंकि कई आन्दोलनकारी ऐसे हैं जिनकी इन दिनों आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान उक्त मामले की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन
04-	श्री प्रकाश राम एवं श्री प्रदीप यादव स0वि0स0	लातेहार जिलान्तर्गत वर्ग-1 से 5 जेटेट पास नवनियुक्त अनुसूचित जाति के 28 शिक्षक जिन्होनें दिनांक- 10.11.2015 को लातेहार जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में सशरीर मूल प्रमाण-पत्रों के साथ कॉउन्सलिंग में भाग लिये थें इन्हें अब 10 माह कार्य करने के पश्चात् यह कहकर वेतन नहीं दिया जा रहा है कि इनका कॉउन्सलिंग में सम्मिलित होने संबंधित प्रमाण-पत्र नहीं है। जबकि उक्त 28 शिक्षकों के पास दिनांक- 10.11.2015 को कॉउन्सलिंग में सम्मिलित होने की पावती रसीद दिनांक- 26.12.2015 को नियुक्ति पत्र तथा 12.03.2016 को निर्गत पदस्थापन पत्र मौजुद है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट प्रतीत होता है	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

		कि पूरी गलती जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, लातेहार का है जिससे इन नव नियुक्त 28 अनुसूचित जाति के शिक्षकों को विगत 10 माह से वेतन नहीं मिल पा रहा है जिससे इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। अतः जनहित के इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहते है।	
05-	सर्वश्री प्रो0 स्टीफन मराण्डी, नलिन सोरेन एवं डॉ0 अनिल मुर्मू स0वि0स0	राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूरे राज्य में शांतिपूर्वक कराया गया लेकिन जिला परिषदों/पंचायतों के अधिकार, स्वायत्त शासी संस्था, पंचायतों को सशक्त बनाने की परिकल्पना, प्रशासनिक नियंत्रण, अब तक कागजों तक ही सीमित है, सभी कार्य विभागों के नियंत्रण में हैं। अधिकारी पंचायत प्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते, सरकारी प्रपत्रों, संकल्प, आदेश, अधिसूचना का व्यवहारिक कार्यान्वयन नहीं होता है। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिला परिषदों को अब तक 11 माह चुनाव हो जाने के बाद भी राज्य के अधिकतम जिलों में किसी प्रकार की निधि उपलब्ध नहीं कराया गया है, परिषदों में कामकाज ठप है। 13वीं वित्त आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया है, तथा 14वीं वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त राशि सीधे पंचायतों को दी जा रही है। संविधान में 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों पर प्रत्यायोजन कर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का विलय अबतक जिला परिषद में नहीं किया गया है। महामहिम राज्यपाल के आदेश से अभी तक चौदह विभागों का हस्तांतरण किया गया है लेकिन माननीया राज्यपाल के आदेश का अवहेलना कर उपरोक्त विभागों का अनुश्रवण संचिका का संपादन व अनुशंसा जिला परिषद्/पंचायत समिति से नहीं कराया जा रहा है। भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा कार्यान्वित योजनाओं, तालाब निर्माण/जीणोद्धार के लिए अनुशंसा/अनुमोदन की शक्ति राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों को बजट का 25 प्रतिशत की राशि केरल सरकार के तर्ज पर व बिहार व पश्चिम बंगाल पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार व जिला परिषद के अधीन सभी विभागों में अनुशंसा एवं अनुमोदन की शक्ति तथा जिला परिषद्/ पंचायत समिति/ ग्राम पंचायत के तीनों इकाईयों के सभी पदधारकों को सम्मानजनक वेतन निर्धारण भी अबतक नहीं किया गया है। अतः सरकार त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में सबसे उच्च संस्था को उपरोक्त अधिकार/विकास योजनाओं के लिए राज्य के सभी जिला परिषदों को अविलम्ब राशि उपलब्ध कराने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।	ग्रामीण विकास

राँची,
दिनांक- 23 नवम्बर, 2016 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।
कृ0पृ030

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-45/2016-3494...../वि0 स0, राँची, दिनांक-21/11/16

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ ग्रामीण विकास विभाग/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/11/16

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-45/2016-3494...../वि0 स0, राँची, दिनांक-21/11/16

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

21/11/16

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

21.11.16